

फार्म

अचल संपत्ति विवरण का वर्ष 2013

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 1983-84 निरंक (प्रथम नियुक्ति दिनांक 07/03/83)

20

- 1 अधिकारी का पूरा नाम:- अजय कुमार पांडे
- 2 वर्तमान धारित पद:- कार्यपालन अभियंता (सिविल) (चाकू प्रभार)
- 3 कार्यालय का नाम:- अधीक्षण अभियंता (अ.उ.दा-निर्माण) वृत्त म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड भोपाल।
- 4 वर्तमान वेतन:- 53600/- (मूल) + 7600/- (ग्रेड पे) + डी.ए.
- 5 भविष्य निधि क्रमांक:- 22968308
- 6 कर्मचारी संख्या 93050069

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, श्रेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	ई-8/60, झाकाश गंगा, भोपाल 1700 वर्ग फिट पर निर्मित	-	लगभग 48 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	श्री नजीब फारुकी स सन् 2004 में विशाखीय अनुमति लेकर रुपये 10.00 लाख में आई.सी.आई.सी.आई बैंक से लोन के माध्यम से खरीदा।	निरंक	-
भोपाल		प्लॉट - 299, रोहित नगर फेस-2, भोपाल 2100 वर्गफीट	लगभग 25.00 लाख रुपये	श्रीमती नीरा पांडे (पत्नी) के नाम पर	श्रीमति नीरा पांडे की पूर्व की संपत्ति 0.148 हेक्टेयर कृषि भूमि (डबरा जिला बवालियर) के विक्रय से प्राप्त आय द्वारा क्रय किया गया।	1.50 लाख वार्षिक	-
भोपाल	FF-17, यूनिटेक बिल्डर्स, कोलार रोड, भोपाल 534 वर्गफीट	-	लगभग 18.00 लाख रुपये	श्रीमती नीरा पांडे (पत्नी) के नाम पर	श्रीमति नीरा पांडे की पूर्व की संपत्ति 0.148 हेक्टेयर कृषि भूमि (डबरा जिला बवालियर) के विक्रय से प्राप्त आय द्वारा क्रय किया गया।	4.00 लाख वार्षिक	-

स्थान : भोपाल
दिनांक : 12/12/2013

हस्ताक्षर.....
नाम:- अजय कुमार पांडे
पद:- कार्यपालन अभियंता (सिविल) (चाकू प्रभार)
कार्य: अधीक्षण अभियंता (अ.उ.दा-निर्माण) वृत्त म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड भोपाल।

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- इसमें तत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।